भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4151

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत दावा निपटान

4151. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री अमर शरदराव काले:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए लिया गया औसत समय कितना है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाए गए दावों का प्रतिशत क्या है;

(ग) महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाये गए आयुष्मान कार्डों की वर्षवार/जिलावार संख्या कितनी हैं;

(घ) लाभार्थियों के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) उपचार और अस्पताल में भर्ती मामलों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत रोगियों को चिकित्सा सुविधा संबंधित लाभ प्रदान करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के कई अजा/अजजा/अपिव परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत नामांकित नहीं किया गया है, जिससे वे इसके लाभों से वंचित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, साथ ही इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदम क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, दावों का निपटान संबंधित राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान देने के बाद योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य को धनराशि जारी की जाती है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार,

राज्य स्वास्थ्य एजेंसियाँ निर्धारित समय के भीतर दावों का निपटान करती हैं, बशर्ते कि धन की उपलब्धता हो और मामलों के लिए हर प्रश्न का समाधान हो।

दावों का समय पर निपटान उन प्रमुख मापदंडों में से एक है जिनके आधार पर योजना के निष्पादन को आंका जाता है। इसलिए, योजना के तहत दावों के निपटान की स्थिति की लगातार निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दावों का निपटान निर्धारित समय के भीतर किया जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य समीक्षा बैठकों के दौरान अतिशोध्य दावों का मुद्दा भी नियमित रूप से उठाया जाता है। इसके अलावा, दावों के दक्ष निपटान के लिए क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

(ग): महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुलग्नक** में है।

(घ): एबी-पीएमजेएवाई के तहत केवल इन-पेशेंट स्वास्थ्य देखभाल अर्थात् अस्पताल में भर्ती की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ओपीडी सेवाएँ शामिल नहीं हैं। 30.11.2024 तक, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर 1.16 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

(ङ): एबी-पीएमजेएवाई सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें भारत की आर्थिक रूप से कमजोर निचली 40% आबादी के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर में, इस योजना के अंतर्गत 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6 वंचना और 11 व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर की गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, भारत सरकार ने लाभार्थी आधार को संशोधित कर 12 करोड़ परिवारों तक पहुँचाया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे एसईसीसी के अंतर्गत आने वाले ऐसे लाभार्थियों के सत्यापन के लिए अन्य डेटाबेस का प्रयोग करने की छूट प्रदान की, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका था। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में से कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गैर- एसईसीसी डेटा स्रोतों (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य विशिष्ट डेटासेट सहित) का प्रयोग करके अपनी लागत पर लाभार्थी आधार का और विस्तार किया है।

मार्च 2024 में आशाकर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया। इसके अलावा, 29.10.2024 को भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया।

(च): 05.11.2024 तक, एबी-पीएमजेएवाई के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को क्रमशः कुल 1.97 करोड़ और 0.97 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एसईसीसी डेटाबेस के साथ-साथ विभिन्न लाभार्थी डेटाबेस को भी अपनाया है।

अनुलग्नक

महाराष्ट्र राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का जिलावार विवरण

–

जिला	वित्त वर्ष 2021-2022	वित्त वर्ष 2022-2023	वित्त 2023-2024
अहमदनगर	14,906	45,680	12,44,481
अकोला	3,194	21,793	3,02,202
अमरावती	18,213	51,058	4,93,344
बीड	4,869	23,480	4,61,926
भंडारा	2,101	25,067	2,96,360
बुलढाना	8,730	23,706	3,87,987
चंद्रपुर	4,265	1,45,062	3,34,018
छत्रपतिसंभाजीनगर	2,627	19,407	6,05,017
धाराशिव	7,883	92,920	3,63,569
धुले	6,624	23,766	4,37,940
गडचिरोली	20,157	25,659	2,76,249
गोंदिया	4,548	35,561	2,51,961
हिंगोली	10,196	27,782	2,61,487
जलगांव	33,078	63,207	5,28,283
जलना	11,190	1,03,860	4,32,353
कोल्हापुर	9,167	57,554	11,52,872
लातूर	3,456	49,043	3,31,003
मुंबई	25,079	15,388	1,54,135
मुंबई उपनगर	48	13	6,22,380
नागपुर	12,101	42,550	10,37,254
नांदेड़	15,605	44,669	7,29,835
नंदुरबार	6,323	22,701	2,94,305
नासिक	15,488	2,42,038	9,77,828
पालघर	1,228	13,344	3,19,662
परभनी	3,504	26,901	3,48,330
पुणे	76,852	53,079	8,84,642
रायगढ़	1,118	12,737	3,33,180
रत्नागिरि	822	26,033	3,64,652
सांगली	10,647	61,964	7,70,520
सतारा	2,910	67,776	6,79,748
सिंधुदुर्ग	1,476	12,234	3,15,054
सोलापुर	11,038	52,952	6,37,982
थाइन	10,702	58,592	5,29,288
वर्धा	608	50,711	2,25,840
वाशिम	3,084	29,398	3,37,351
यवतमाल	7,034	99,408	2,65,648

नोट: 16.12.2024 तक का डेटा

*****